


दिनांक	आज्ञा पत्र	
<p>10.1.25</p> 	<p>42119 की वकील अपीलान्त न उपास्थत हाव जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फंसल शुमार होकर नम्बर से कम्प होकर बाद तरती कमील दाखिल टफनग हो।</p> <p>(सि.सि.सि.सि.) 25/01/25 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प बुन्झान)</p>	<p>not press 53/2017 AT</p>